माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय,

माखनपुरम परिसर, म.प्र. राज्य शूटिंग अकादमी के सामने, पोस्ट बरखेड़ा नाथू,
बिशनखेड़ी, भोपाल–462044 फोन नं. 0755–2550258

रूचि की अभिव्यक्ति आमंत्रण (EOI)

विश्वविद्यालय परिसर स्थित दुकान में फोटो कॉपी/स्टेशनरी/एमपी ऑनलाइन सेवा संचालन हेतु प्रतिष्ठित एवं अनुभवी सेवा प्रदाता से रूचि की अभिव्यक्ति (EOI) आमंत्रित की जाती है। इच्छुक सेवा प्रदाता दिनांक 30/11/2026 अपरान्ह 03:00 बजे तक राशि रूपये 1,180/– (एक हजार एक सौ अस्सी रूपये) (18% GST सहित) मात्र का बैंक ड्राफ्ट ''**कुलसचिव, माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार वि.वि. भोपाल**'' **(Registrar, MCNUJC, Bhopal)** के नाम से जमा कर रूचि की अभिव्यक्ति (EOI) फार्म भण्डार शाखा से क्रय कर सकते है या वि.वि. की वेबसाइट (www.mcu.ac.in) से प्राप्त कर जमा कर सकते है।

रूचि की अभिव्यक्ति (EOI) फार्म भरकर जमा करने की **अंतिम तिथि 30/11/2026 अपरान्ह 03:00 बजे तक** है। रूचि की अभिव्यक्ति (EOI) **दिनांक 30/11/2026** को **अपरान्ह 04:00** बजे खोली जायेगी।

कुलसचिव

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय,

माखनपुरम परिसर, म.प्र. राज्य शूटिंग अकादमी के सामने, पोस्ट बरखेड़ा नाथू,
बिशनखेड़ी, भोपाल–462044 फोन नं. 0755–2550258

रूचि की अभिव्यक्ति (EOI)

विश्वविद्यालय परिसर स्थित दुकान में फोटो कॉपी, एमपी ऑनलाइन सेवा, सीएससी सेवा एवं लेखन सामग्री संबंधित सेवाओं के संचालन हेतु रूचि की अभिव्यक्ति आमंत्रण

मध्यप्रदेश भण्डार क्रय तथा सेवा उपार्जन नियम, 2015 (यथा संशोधित) तथा विश्वविद्यालय के प्रचलित नियमों के अंतर्गत माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल (म.प्र.) के परिसर में स्थित फोटो कॉपी केन्द्र/दुकान के संचालन हेतु पात्र एवं अनुभवी फर्मों/एजेंसियों/व्यक्तिगत उद्यमियों से रूचि की अभिव्यक्ति (EOI) आमंत्रित की जाती है।

1. रूचि की अभिव्यक्ति (EOI) प्रस्तुत करने की प्रक्रिया –

आवेदन सीलबंद लिफाफे में निम्न शीर्षक अंकित कर प्रस्तुत किया जाएगा –

"विश्वविद्यालय परिसर स्थित दुकान में फोटो कॉपी, एमपी ऑनलाइन सेवा, सीएससी सेवा एवं लेखन सामग्री संबंधित सेवाओं के संचालन हेतु रूचि की अभिव्यक्ति (EOI)"

आवेदन निम्न पते पर निर्धारित तिथि एवं समय तक जमा किए जाएँ –

कुलसचिव

माखनलाल चतुर्वेदी
राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार
विश्वविद्यालय, माखनपुरम परिसर,
म.प्र. राज्य शूटिंग अकादमी के सामने,
पोस्ट–बरखेडा नाथू, भोपाल (म.प्र.) – 462044

2. महत्वपूर्ण तिथियाँ –

क्र.	विवरण	दिनांक	समय
1.	रूचि की अभिव्यक्ति (EOI) प्रकाशन तिथि	13/11/2026	.....
2.	रूचि की अभिव्यक्ति (EOI) जमा करने की तिथि	30/11/2026	अपरान्ह 03:00 बजे तक
3.	रूचि की अभिव्यक्ति (EOI) तकनीकी खोलने की तिथि व समय	30/11/2026	अपरान्ह 04:00 बजे
4.	रूचि की अभिव्यक्ति (EOI) वित्तीय खोलने की तिथि व समय	30/11/2026	अपरान्ह 04:00 बजे

3. कार्य का विवरण

चयनित सेवा प्रदाता द्वारा विश्वविद्यालय परिसर में निम्न सेवाएँ प्रदान की जाएँगी –

3.1 ब्लैक एवं व्हाइट फोटो कॉपी

3.2 कलर फोटो कॉपी

3.3 PDF/Text Document/ Graphics/ Photo printing (A4/A3)

3.4 स्कैनिंग

3.5 स्पाइरल बाइंडिंग

3.6 लैमिनेशन

3.7 कम्प्यूटर टाइपिंग

3.8 सीएससी/एमपी ऑनलाइन आवेदन/ई–सेवाएँ (विश्वविद्यालय की अनुमति से)

3.9 अन्य दस्तावेज़ संबंधी सेवाएँ

3.10 स्टेशनरी से संबंधित समस्त सामग्री

4. अनुबंध अवधि –

अनुबंध प्रारंभिक रूप से एक वर्ष के लिए होगा। कार्य संतोषजनक पाए जाने पर सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से अनुबंध अवधि तीन वर्ष बढ़ाई जा सकेगी। प्रशासनिक दृष्टि से बिना कारण बताए अनुबंध को समाप्त करने का अधिकार विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित होगा।

5. पात्रता –

आवेदक –

5.1 भारत में विधिवत पंजीकृत दुकान/कम्पनी/स्वामित्व फर्म/एजेंसी हो।

5.2 समान कार्य का न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव रखता हो।

5.3 PAN एवं GST पंजीयन (जहाँ लागू हो) रखता हो।

5.4 किसी भी शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्था द्वारा ब्लैकलिस्ट न किया गया हो।

5.5 आवश्यक मशीनरी एवं तकनीकी संसाधन उपलब्ध हों।

6. आवश्यक दस्तावेज –

6.1 आवेदन पत्र

6.2 पंजीयन प्रमाण–पत्र

6.3 PAN कार्ड

6.4 GST प्रमाण–पत्र

6.5 अनुभव प्रमाणपत्र (किसी विश्वविद्यालय/संस्थान में न्यूतनतम 3 वर्ष का)

6.6 कार्य आदेशों की प्रतियाँ

6.7 आयकर रिटर्न (न्यूतनतम 3 वर्ष का)

6.8 बैंक विवरण

6.9 ₹100/– के गैर–न्यायिक स्टाम्प पर ब्लैकलिस्ट न होने का शपथ–पत्र

6.10 अन्य आवश्यक दस्तावेज

7. दुकान का किराया एवं धरोहर राशि –

7.1 चयनित सेवा प्रदाता को विश्वविद्यालय को ₹1,180/– (रुपये एक हजार एक सौ अस्सी मात्र) (18%GST सहित) प्रति माह दुकान किराया एवं ₹290/– (दो सौ नब्बे मात्र) संधारण शुल्क देना होगा।

7.2 विद्युत व्यय सेवा प्रदाता को पूर्ण रूप वहन करना होगा।

7.3 चयनित सेवा प्रदाता संस्थान का अनुबंध ₹1,000/– (रुपये एक हजार मात्र) के स्टाम्प पर निष्पादित किया जाएगा।

7.4 चयनित सेवा प्रदाता संस्थान को अनुबंध निष्पादन के पूर्व ₹1,00,000/– (रुपये एक लाख मात्र) की धरोहर राशि विश्वविद्यालय में जमा करानी होगी।

7.5 जमा धरोहर राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

7.6 अनुबंध अवधि समाप्त होने एवं सभी देयताओं के निराकरण के उपरांत धरोहर राशि नियमानुसार वापस की जाएगी।

7.7 अनुबंध की शर्तों के उल्लंघन की स्थिति में धरोहर राशि आंशिक अथवा पूर्ण रूप से जब्त की जा सकेगी।

8. सेवा प्रदाता की जिम्मेदारियाँ –

8.1 सभी मशीनें, कम्प्यूटर, प्रिंटर, स्कैनर एवं UPS स्वयं उपलब्ध कराना।

8.2 मशीनों का रखरखाव एवं मरम्मत स्वयं करना। अपेक्षित कार्य लंबित न होना।

8.3 विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित दरों पर सेवाएँ प्रदान करना।

6.4 दुकान में दर सूची प्रदर्शित करना।

8.5 डिजिटल भुगतान (UPI/QR Code) की सुविधा उपलब्ध कराना।

8.6 परिसर की स्वच्छता बनाए रखना।

8.7 निर्धारित समय पर दुकान संचालित करना।

8.8 विश्वविद्यालय के सभी नियमों एवं निर्देशों का पालन करना।

9. विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधा –

9.1 एक दुकान/कक्ष।

9.2 विद्युत सुविधा (प्रचलित नियमों के अनुसार) सब मीटर के माध्यम से विश्वविद्यालय को भुगतान करना होगा।

9.3 अन्य उपलब्ध आधारभूत सुविधाएँ।

10. कार्य समय –

विश्वविद्यालय के कार्य दिवसों में प्रातः 09:00 बजे से सायं 06:00 बजे तक अथवा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित समयानुसार दुकान संचालित करना अनिवार्य होगा। परीक्षा दिवसों में विश्वविद्यालय द्वारा अवधि बढ़ाई जा सकेगी।

11. सेवा शुल्क –

फोटो कॉपी, प्रिंटिंग, स्कैनिंग, स्पाइरल बाइंडिंग, लैमिनेशन आदि सेवाओं की दरें विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर निर्धारित की जाएगी तथा चयनित सेवाप्रदाता उन्हीं दरों पर सेवाएँ उपलब्ध कराएगा।

12. चयन प्रक्रिया –

प्राप्त रूचि की अभिव्यक्ति का मूल्यांकन विश्वविद्यालय द्वारा गठित समिति निम्न आधारों पर करेगी –

12.1 अनुभव

12.2 तकनीकी क्षमता

12.3 मशीनरी की उपलब्धता

12.4 वित्तीय क्षमता

12.5 दस्तावेज़ों की सत्यता

उपरोक्त के उपरांत सभी चयनित सेवा प्रदाता से क्रमांक 3 में उल्लेरखित सेवाओं हेतु बंद लिफाफे में दरें प्राप्ति की जाएगी L–1 फर्म को कार्य सौंपा जाऐगा। समिति का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

13. अन्य शर्तें –

रूचि की अभिव्यक्ति (EOI) की शर्तें –

13.1 न्यूनतम 02 फोटो कॉपी मशीन संस्थान के पास होनी चाहिए।

13.2 सभी मशीनों/उपकरणों के संचालन के लिए पर्याप्त आवश्यक स्टॉफ रखना होगा। सेवा में विलंब स्वीकार नहीं होगा।

13.3 चयनित सेवा प्रदाता द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले बिल में देय जी.एस.टी. राशि पृथक से अंकित कर प्रस्तुत की जाए।

13.4 रूचि की अभिव्यक्ति (EOI) पूर्ण या आंशिक रूप से स्वीकृत/अस्वीकृत करने तथा किसी भी स्तर पर बिना कारण बताए निरस्त करने का पूर्ण अधिकार माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल के पास सुरक्षित रहेगा ।

13.5 किसी भी प्रकार की व्याख्या (Interpretation) का प्रश्न उपस्थित होने पर माननीय कुलगुरू, माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

13.6 सेवा प्रदाता द्वारा दी गई वित्तीय दर समान होने पर विश्वविद्यालय स्वविवेक से पैरामीटर/प्रक्रिया निर्धारित कर सफल निविदाकर्ता के निर्धारण हेतु निर्णय लेने के लिए अधिकृत होगी। इस संबंध में किसी भी प्रकार का दावा/आपत्ति मान्य नहीं होगी।

13.7 न्यायालयीन विवाद की स्थिति में क्षेत्राधिकार भोपाल न्यायालय होगा।

13.8 यह रूचि की अभिव्यक्ति (EOI) अहस्तांतरणीय है।

13.9 रूचि की अभिव्यक्ति (EOI) की शर्तो में किसी प्रकार की छूट नहीं दी जावगी।

13.10 रूचि की अभिव्यक्ति (EOI) खोलते समय यदि सेवा प्रदाता फर्म का प्रतिनिधि अनुपस्थित रहता है तो बाद में किसी भी प्रकार की आपत्ति मान्य नहीं होगी।

13.11 विश्वविद्यालय को बिना कारण बताए रूचि की अभिव्यक्ति (EOI) को निरस्त करने का अधिकार होगा।

13.12 इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि ए–4 साईज तथा ए–3 साईज की फोटो कॉपी एक तरफ करने की दर तथा दोनों तरफ करने की दर पृथक–पृथक दी जाए।

13.13 फोटो कॉपी के लिए निर्धारित पर्ची में फोटो कॉपी की संख्या अंकित कर एवं सक्षम अधिकारी से हस्ताक्षर करवाकर देयक के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।

13.14 फोटो कॉपी के लिए ए–4 साइज, 21.0X29.7cm, 75 जी.एस.एम., लाल पैकिंग जे.के. फोटो कॉपी पेपर लाल पैकिंग साईज का कागज उपयोग किया जाना अनिवार्य है। अन्य का कागज उपयोग करते पाए जाने पर देयक का भुगतान नहीं किया जाएगा।

13.15 किराए पर लगाई जाने वाली मशीन 50 से 60 सी.पी.एम. की होना अनिवार्य है।

13.16 विश्वविद्यालय में लगाई जाने वाली मशीन अच्छी कंडीशन की होना अनिवार्य है।

13.17 फोटो कॉपी मशीन का संधारण, कागज, टोनर एवं चलाने के लिए व्यक्ति पारिश्रमिक मिलाकर फोटो कॉपी व्यय का भुगतान प्रति कॉपी की दर से किया जाएगा। इसके अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार का भुगतान नहीं किया जाएगा।

13.18 फोटो कॉपी मशीन का सम्पूर्ण संधारण, कागज, टोनर, आदि एवं चलाने के लिए व्यक्ति के पारिश्रमिक भुगतान का दायित्व सफल सेवा प्रदाता का होगा ।

13.19 फोटो प्रतियाँ स्वच्छ सुस्पष्ट तथा पाठनीय न होने पर विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकार नहीं की जाएगी तथा व्यवधान के कारण देयक राशि पर 5 प्रतिशत राशि की कटौती/पेनाल्टी के रूप में काटौती की जायेगी।

13.20 सामग्री की कीमत सुस्पष्ट अक्षरों में लिखें। कॉट–छॉट अथवा अपर लेख होने की स्थिति में मान्य नहीं किया जायेगा।

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय,
माखनपुरम परिसर, म.प्र. राज्य शूटिंग अकादमी के सामने, पोस्ट बरखेड़ा नाथू,
बिशनखेड़ी, भोपाल–462044 फोन नं. 0755–2550258

प्रपत्र –1

शपथ–पत्र
(रू. 100/– के स्टाम्प पेपर पर नोटरी से सत्यापित)

मैं————————————————द्वारा प्रोप्राईटर मेसर्स
————————————————————————————————————

निम्नलिखित कथन शपथ लेकर कहता हूँ कि :–

(1) यह कि फर्म को किसी भी शासकीय संस्था/उपक्रम से कभी भी ब्लैक लिस्टेड नहीं किया गया है।

(2) यह कि फार्म की फोटो कॉपी मशीन किराए पर उपलब्ध कराने सम्बन्धी कोई कानूनी विवाद न्यायालय में लंबित नहीं है।

(3) यह कि फर्म पर किसी शासकीय संस्था/ उपक्रम की देनदारी शेष नहीं है।

(4) यह कि रूचि की अभिव्यक्ति (EOI) में प्रस्तुत अथवा शपथ–पत्र में दर्शायी गई जानकारी असत्य पाये जाने पर मेरी रूचि की अभिव्यक्ति (EOI) को निरस्त करने का अधिकार माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल को होगा ।

शपथ ग्रहिता

मैं उपरोक्त शपथग्रहिता सत्यापित करता हूँ कि मेरे द्वारा निष्पादित उक्त शपथ–पत्र के बिन्दु क्रमांक 1 से 4 में वर्णित कथन मेरे निजी ज्ञान विश्वास अनुसार पूर्ण सत्य है।

शपथ ग्रहिता

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय,

माखनपुरम परिसर, म.प्र. राज्य शूटिंग अकादमी के सामने, पोस्ट बरखेड़ा नाथू,
बिशनखेड़ी, भोपाल–462044 फोन नं. 0755–2550258

प्रपत्र –2

लिफाफा C में रखे

भाग–4

कराई जाने वाली फोटो कॉपी का विवरण

स. क्र.	विवरण	उल्लेखित दर प्रति कॉपी (समस्त कर सहित)
1.	फोटो कॉपी ए–4 साईज (एक तरफ) B/W	
2.	फोटो कॉपी ए–4 साईज (दोनो तरफ) B/W	
3.	फोटो कॉपी ए–3 साईज (एक तरफ) B/W	
4.	फोटो कॉपी ए–3 साईज (दोनों तरफ) B/W	
5.	स्पायरल बाईंडिग	

स. क्र.	विवरण	उल्लेखित दर प्रति कॉपी (समस्त कर सहित)
1.	फोटो कॉपी ए–4 साईज (एक तरफ) Color	
2.	फोटो कॉपी ए–4 साईज (दोनो तरफ) Color	
3.	फोटो कॉपी ए–3 साईज (एक तरफ) Color	
4.	फोटो कॉपी ए–3 साईज (दोनों तरफ) Color	
5.	स्पायरल बाईंडिग	

(सेवा प्रदाता संस्था प्रमुख के हस्ताक्षर एवं सील)
फोन/मोबाईल नं.....
दिनांक :.....

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय,

माखनपुरम परिसर, म.प्र. राज्य शूटिंग अकादमी के सामने, पोस्ट बरखेड़ा नाथू,
बिशनखेड़ी, भोपाल–462044 फोन नं. 0755–2550258

सेवा प्रदाता फर्म की जानकारी तथा धोषणा–पत्र

स.क्र.	विवरण	अंकित करें
1.	सेवा प्रदाता का नाम	
2.	फर्म का नाम	
3.	कार्यालयीन पता	
4.	संस्था का गुमाश्ता, वैद्य रजिस्ट्रेशन प्रमाण–पत्र की छाया प्रति संलग्न करें।	
5.	दूरभाष/मोबाईल नम्बर	
6.	ई–मेल आईडी	
7.	संबंधित क्षेत्र के लिए नगर निगम द्वारा जारी अद्यतन पंजीयन	
8.	जी.एस.टी. नम्बर	
9.	पेन कार्ड नम्बर	
10.	विगत 03 वर्ष का आयकर विवरणी	

:: घोषणा–पत्र ::

मेरी/हमारी संस्था द्वारा रूचि की अभिव्यक्ति (EOI) में दिए गए सभी नियम/शर्तो का सावधानीपूर्वक अध्ययन कर लिया गया है एवं रूचि की अभिव्यक्ति (EOI) की शर्तो के अधीन माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल में फोटो कॉपी, एमपी ऑनलाइन सेवा, सीएससी सेवा एवं लेखन सामग्री सेवा संचालन करने के लिए अपनी सहमति प्रदान करता हूँ।

फर्म की अधिकृत हस्ताक्षर सील सहित

:: कथन ::

मैं कथन करता हूँ कि रूचि की अभिव्यक्ति (EOI) प्रपत्र में मेरे द्वारा अंकित जानकारी सत्य है एवं इसकी सभी नियम एवं शर्ते मुझे मान्य है।

सेवा प्रदाता का नाम .....

पता .....

हस्ताक्षर एवं मुहर.....

14. विश्वविद्यालय के अधिकार –

विश्वविद्यालय बिना कोई कारण बताए किसी भी अथवा सभी EOI को स्वीकार या निरस्त करने, प्रक्रिया में संशोधन करने, पुनः रूचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित करने अथवा किसी भी स्तर पर प्रक्रिया समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। इस संबंध में विश्वविद्यालय का निर्णय अंतिम होगा।

15. लागू नियम –

यह रूचि की अभिव्यक्ति मध्यप्रदेश भण्डार क्रय तथा सेवा उपार्जन नियम, 2015 (यथा संशोधित), मध्यप्रदेश वित्तीय नियम, माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय अधिनियम, परिनियम, अध्यादेश एवं विश्वविद्यालय के प्रचलित प्रशासनिक एवं वित्तीय नियमों के अधीन होगी।

रूचि की अभिव्यक्ति संबंधी सामान्य जानकारी विश्वविद्यालय की वेबसाईट www.mcu.ac पद पर भी अवलोकनार्थ उपलब्ध है।

स्थान : भोपाल–
दिनांक : ––––––––––

कुलसचिव

माखनलाल चतुर्वेदी
राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार
विश्वविद्यालय, भोपाल (म.प्र.)